खेल मैदान के नाम पर लाखों का बंदरबांट, धनककड़ी पंचायत में कागजों में खेल मैदान का कार्य, जमीन पर कुछ नहीं दिखता

लखनादौन (स्वतंत्र मत)

जनपद पंचायत लखनादौन अंतर्गत ग्राम पंचायत धनककड़ी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। मनरेगा योजना के तहत खेरमाई मंदिर के पास खेल मैदान निर्माण के नाम पर लाखों रुपये खर्च दिखा दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत द्वारा कागजों में खेल मैदान का निर्माण पूरा दिखाकर सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया गया। जबकि स्थल पर न तो मैदान समतलीकरण हुआ है और न ही कोई अन्य निर्माण कार्य दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर 99 हजार 500 रुपये की राशि निकाल ली गई थी। बिलों में रेत, गिट्टी और सीमेंट का उपयोग दिखाया गया, लेकिन आज तक शौचालय का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खेल मैदान निर्माण कार्य में 18 से 20 मजदूरों के नाम से मनरेगा में मजदूरी दर्ज कर लगभग 181 मानव दिवस का कार्य दिखाया गया है। ग्रामीण युवाओं का कहना है कि उन्होंने मौके पर ऐसा कोई कार्य होते नहीं देखा। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन 181 में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय योजनाओं की राशि का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं जनपद पंचायत लखनादौन के जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पंचायत प्रतिनिधियों व संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी योजनाओं में हो रहे इस तरह के भ्रष्टाचार पर लगाम लगें।

बंदूक का लायसेंस बनवाने के नाम पर ठगी करने वाला दूसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में

सिवनी (स्वतंत्र मत)

पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के नेतृत्व एवं एएसपी दीपक मिश्रा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सचिन परते के मार्गदर्शन में बंदूक का लायसेंस बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले दूसरे फरार आरोपी महेश राय को पकडने में कोतवाली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 29/11/2025 को प्रार्थी राकेश राय निवासी रघुनाथ नगर रिलांयस टावर के पास सी.व्ही. रमन वार्ड सिवनी द्वारा थाना कोतवाली सिवनी में रिपोर्ट लेख कराई गई थी कि राकेश का सगा मामा शरद राय एवं शरद राय का साला महेश राय द्वारा बंदूक का लायसेंस बनवाने के नाम पर प्रार्थी राकेश राय के साथ 9,94,000/- रुपये की ठगी करने की रिपोर्ट पर धारा 318(4),62(2) (क) बीएनएस का अपराध पंजीबध्द किया गया था। विवेचना दौरान अभियुक्त शरद राय को दिनांक 02/12/2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया था, जबकि मुख्य अभियुक्त महेश राय घटना के पश्चात लगातार फरार चल रहा था । जिसे दिनांक 11/03/2026 को गिरफ्तार कर अपराध के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने ठगी के पैसों से एक नई मोटर सायकिल एवं अपने महेन्द्रा कम्पनी के ट्रेक्टर की फायनेंस की किश्तें चुकाना बताने पर मोटर सायकिल एवं महेन्द्रा ट्रेक्टर को विधिवत् जप्त किया जाकर आरोपी को जे. आर. पर जेल दाखिल किया गया है। आरोपी द्वारा राकेश राय से ठगी से लिये हुए रूपयों को खर्च करना बताया है जिस हेतु आवश्यकता पडने पर भविष्य में आरोपी महेश राय द्वारा खर्च किये हुए रूपयों की बरामदगी हेतु पुनः माननीय न्यायालय से पी.आर.लिया जावेगा। गिरफ्तार आरोपी:- महेश राय पिता कंचनलाल राय उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम समनापुर चौकी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी जप्ती:- एक होंडा साइन मोटर सायकिल क्रमांक स्क्क 22 त्र 9879 एवं एक महेन्द्रा कम्पनी का ट्रैक्टर क्र. स्क्क 232 क्क 4308 कीमती करीबन 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) विशेष भूमिका:- निरीक्षक सतीश तिवारी, उनि दयाराम शरणागत, राहुल काकोडिया, सउनि. जसवंत ठाकुर, प्र.आर. मनोज पाल,आर. सुधीर डहेरिया, सिध्दार्थ दुबे, सतीश इनवाती, प्रदीप चौधरी एवं चालक इरफान की सराहनीय भूमिका रही।

तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से अधेड़ घायल

सिवनी (स्वतंत्र मत)

सिवनी जिले के घंसौर क्षेत्र में निधानी के पास मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से यह घटना हुई, जिसके बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, निधानी निवासी 50 वर्षीय किसान तेज सिंह मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सड़क किनारे पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तेज सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत घायल तेज सिंह की सहायता की। उन्होंने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस टीम घटनास्थल पर पहुंची। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंसौर ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के समय सड़क पर आवाजाही कम थी, लेकिन बाइक चालक की लापरवाही और तेज गति हादसे का कारण बनी। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गौ-तस्करों पर कड़ा प्रहार

बंडोल पुलिस ने आयसर ट्रक जप्त कर मुक्त कराये 27 नग गौवंश

सिवनी (स्वतंत्र मत)

पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता के द्वारा गौवंश वध, अवैध परिवहन करने वालो के विरूध्द सख्त कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है व अवैध गौवंश हत्या, परिवहन करने वालो की सूचना देने वाले मुखबिरो को नगद ईनाम से पुरूष्कृत करने हेतु घोषणा की गई है। शपुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील कुमार मेहता निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी दीपक मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री सचिन परते के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी बंडोल उ.नि. मनोज जंघेला एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र मे लगातार गौवंश पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 17.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा गोरखपुर चौराहे पर वाहन चैकिंग लगाई गई एवं घेराबंदी कर एक अशोक लीलेण्ड आयसर ट्रक क्रमांक छत्त-08ङ्क-8312 को पकडा गया। आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये। उक्त ट्रक क्रं. छत्त-08ङ्क-8312 को चैक करने पर ट्रक के डाला के अंदर 27 नग गौवंश जिसमें 16 नग गाय (01 मृत), 11 नग नाटा कुल 27 नग गौवंश (मवेशी) जिनको क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर बिना चारा पानी के गौवंश मवेशी सिर, पैर, सिंग एक दूसरे की रस्सियों से कसकर क्रूरतापूर्वक भरे गये थे, जिन्हें मुक्त कराया गया एवं सुरक्षित बरघाट गौशाला पहुंचाया गया। अज्ञात आरोपीगणो के विरूध्द अपराध क्रमांक 77/26 धारा-4, 6, 9, म. प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 6 (क), 6 (ख) (1) म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधि. 11(1) (घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 325, बीएनएस 184, 66/192 मो. व्ही एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। जप्ती:- 16 नग गाय (01 मृत), 11 नग नाटा कुल 27 नग गौवंश कीमती 2,50,000/- रूपये ट्रक क्र. छत्त-08ङ्क-8312 कीमती 7,00,000/-रूपये कुल जप्ती 9,50,000/- रूपये

जिला न्यायालय सिवनी में नेशनल लोक अदालत आयोजित

सिवनी (स्वतंत्र मत)

जिला न्यायालय सिवनी में दिनांक 14/03/2026आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत चोरी से संबंधित लिटीगेशन 59 केश राशि 9 लाख और प्री लिटीगेशन 1205 के केस राशि 75 लाख लगभग राशि विभाग को प्राप्त हुई इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला न्यायाधीश जी द्वारा विद्युत विभाग में पदस्थ शुभम तिवारी सहायक ग्रेड 3 को समानित किया गया।

स्तरीय ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का एक दिवसीय क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

सिवनी (स्वतंत्र मत)

ग्राम पंचायत बंडोल में जन अभियान परिषद के सेक्टर स्तरीय ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का एक दिवसीय क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला समन्वयक सौरभ शुक्ला सर एवं ब्लॉक समन्वयक श्रीमती मोनिका चौरसिया एवं नवांकुर संस्था से कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती सीमा गाडपायले के मुख्य अतिथि में प्रारंभ हुआ जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा भारत माता के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया इस दौरान देशभक्ति गीत एवं स्वागत गीत नवांकुर संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया इस एक दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलार बांकी, बंडोल की ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी व सदस्य गणों को आवश्यक जानकारी दी गई इस प्रशिक्षण में कुल 4 साल हुए जिसमें प्रथम सत्र में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उद्देश्य, अवधारणा एवं परिषद की योजनाएं विषय पर जानकारी प्रदान की गई दूसरे सत्र में सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम पर जानकारी प्रदान की गई तीसरे सत्र में स्वयं सेवी संस्थाओं का गठन एवं प्रबंधन विषय पर जानकारी वहीं अंतिम सत्र में प्रस्फुटन समितियां का दस्तावेजीकरण विषय पर जानकारी दी गई यह कार्यक्रम यह प्रशिक्षण ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां के लिए क्षमता वृद्धि का कार्य करेगा और इससे समितियां अपने ग्राम में स्वेच्छा से अच्छे से कार्य कर पाएगी कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षण आर्थियों के अतिथि के हस्ते प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया यह कार्यक्रम जिला समन्वयक श्री सौरभ शुक्ला सर एवं ब्लॉक समन्वयक श्रीमती मुनि का चौरसिया एवं नवांकुर संस्था से कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती सीमा गढ़पायले के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ इस अवसर पर प्रमुख रूप से जितेंद्र लिल्हारे, डॉ सुनील राय, मनोरंजन सिंह बघेल, अरविंद बघेल, शोभा बघेल परामर्शदाता, विजय यादव, प्रकाश यादव, कैलाश बघेल, राजकुमार कुमार वर्मा, नरेश यादव, शंकर यादव, प्रवीण राय, ष्द्वष्घ्स्रश्च छात्र अनुश्री यादव,वर्षा साहू, की उपस्थिति रही।

गर्ल्स कॉलेज सिवनी में सर्वाइकल कैंसर व माहवारी स्वच्छता पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

सिवनी (स्वतंत्र मत)

गर्ल्स कॉलेज सिवनी में गूंज संस्था की ओर से सर्वाइकल कैंसर एवं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन विषय पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिलाओं से जुड़ी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना रहा।

कार्यशाला के दौरान श्रीमती अनुसूइया पटवा ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, बचाव और इसके टीकाकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर लगाया गया टीका इस गंभीर बीमारी से बचाव में अत्यंत सहायक होता है तथा इसे किस उम्र में और किस प्रकार लगवाना चाहिए, इसकी भी जानकारी छात्राओं को दी गई। वहीं श्रीमती मनीषा चौहान ने माहवारी के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेनेटरी पैड के सही उपयोग और उपयोग के बाद उसके सुरक्षित निस्तारण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन अपनाकर महिलाएं कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों से स्वयं को सुरक्षित रख सकती हैं। इस अवसर पर छात्राओं को इको-फ्रेंडली सेनेटरी पैकेट का वितरण भी किया गया, ताकि वे सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार विकल्प अपना सकें। कार्यक्रम का एक विशेष क्षण उस समय रहा जब गूंज संस्था की ओर से उन छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने बाल विवाह के विरोध में आयोजित नुक्कड़ नाटक में भाग लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का सराहनीय कार्य किया। गूंज संस्था का उद्देश्य युवतियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में गूंज संस्था की संतोष भूरा, मीना ठाकुर, कॉलेज प्रबंधन तथा अलका उईके मैडम का विशेष सहयोग रहा।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए 221 आवेदन

सिवनी (स्वतंत्र मत)

प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होने वाली जिलास्तरीय जनसुनवाई कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में कुल 190 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े। जिला स्तरीय जनसुनवाई में तहसील छपारा अंतर्गत तकिया वार्ड वार्ड नं 06 निवासी सोहनलाल झारिया द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक, तहसील लखनादौन अंतर्गत निवारी टोला निवासी नोखेलाल झारिया द्वारा आबादी भूमि का पट्टा दिलाये जाने विषयक, तहसील केवलारी अंतर्गत ग्राम मरकावाडा निवासी मिथलेश मरकाम द्वारा धारणाधिकार पट्टा दिलाये जाने विषयक, ग्राम बेरढाना छपारा निवासी सूरज प्रसाद भलावी द्वारा अवैध कब्जा हटाए जाने विषयक, तहसील बरघाट अंतर्गत ग्राम जेवनारा निवासी जैयवंता बाई द्वारा एमएसपी पर धान विक्रय की राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम मूंडापारा बरघाट निवासी पंकज मडावी द्वारा सही सीमांकन कराए जाने विषयक, लखनादौन निवासी दादूराम गोल्हानी द्वारा नक्शा खसरा नंबर सुधार कराए जाने विषयक, ग्राम बनाथर केवलारी निवासीकोमल प्रसाद पंचेश्वर द्वारा धान खरीदी केंद्र में विक्रय के बाद धान उपार्जन की राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम ऐरपा सिवनी निवासी मनीश लाल परते द्वारा मुआवजा राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम भोमाटोला सिवनी निवासी सुखचैन बंदेवार द्वारा गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज कराये जाने विषयक, ग्राम सागर सिवनी निवासी नीतेश्वरी सनोडिया द्वारा समग्र आईडी में पिता के नाम में सुधार किये जाने विषयक, ग्राम पलारी निवासी शांति बाई कुमरे द्वारा वृद्धा पेंशन व खाद्यान्न दिलाये जाने विषयक, ग्राम कोडिया बरघाट निवासी ध्यानसिंह मर्सकोले द्वारा सर्पदंश से हुई मृत्यु उपरांत राहत राशि दिलाये जाने विषयक, महावीर वार्ड सिवनी निवासी कैलास कुमार यादव द्वारा नामांतरण आदेश की सत्यापित प्रति दिलाये जाने विषयक, ग्राम बेलगांव केवलारी निवासी अनिल पंचेश्वर द्वारा मृत्यु उपरांत संबंल कार्ड पर प्राप्त होने वाली सहायता राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम उगली केवलारी निवासी प्रेमवती द्वारा धान उपार्जन की राशि दिलाये जाने विषयक, वार्ड क्रमांक 12 बरघाट निवासी शैलेष कुमार चौहान द्वारा कैंसर के उचित ईलाज के लिए सहायता राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम चिखली केवलारी निवासी लोकेश कुमार द्वारा रिकार्ड दुरूस्त किये जाने विषयक, ग्राम जुगरई लखनादौन निवासी जुनारी उईके द्वारा शेर इरिगेशन एरिया एवं बडादेव सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से सिंचाई जल उपलब्ध कराये जाने विषयक, ग्राम गंगई रैयत छपारा निवासी आशीष कुमार अवधिया द्वारा सागौन वृक्ष कटाई की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक, ग्राम जैतपुर निवासी करतार सिंह बघेल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाये जाने विषयक, ग्राम डुंगरिया निवासी खिम्मू द्वारा भूमि का नक्शा सुधार कार्य कराये जाने विषयक सहित कुल 221 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये गये।

नौकरी दिलाने के नाम पर दो लोग हुए ठगी का शिकार

उमरिया (स्वतंत्रमत)। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के दो युवक ठगी का शिकार हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पीड़ितों में से एक दीपू शर्मा फॉर्मा कंपनी में कार्यरत था, जिसकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले अविराज नामक व्यक्ति से हुई। अविराज ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दोनों युवकों से लगभग 8 लाख 50 हजार रुपये अलग-अलग किस्तों में ले लिए और उन्हें फर्जी जॉइनिंग लेटर भी थमा दिया। नौकरी की आस में दोनों युवक उमरिया पहुंच गए और कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले डॉ. शैलेन्द्र पाण्डेय के यहां किराए से कमरा लेकर रहने लगे।करीब एक माह तक वहां रहने के दौरान उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिस पर मकान मालिक ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों युवक सौरभ मिश्रा एवं दीपू शर्मा उत्तर प्रदेश के देवरिया एवं गोरखपुर जिले के निवासी हैं और बांधवगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए हैं। उनके पास मौजूद दस्तावेजों की जांच में जॉइनिंग लेटर फर्जी पाया गया। पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ते हुए मामले की जांच कर पीड़ितों को अपने गृह ग्राम मे मामला दर्ज कराने की बात कही है तों वही जब इस नियुक्ति पत्र की बात बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के डिप्टी डायरेक्टर योहान कटारा से की गई तों उन्होंने इस नियुक्ति पत्र को फर्जी बताया और इस मामले. की जांच कराने की बात कही।

जनसुनवाई में पहुँचा गाड़ी के भुगतान का मामला

उमरिया (स्वतंत्र मत)

जिला मुख्यालय उमरिया के उजनिया निवासी युवक सतेंद्र सिंह के वाहन का तहसील चंदिया से भुगतान न होने का मामला जनसुवाई पहुँच गया। उन्होंने बताया कि मैंने अपना वाहन क्रमांक एम पी 54 टी 1189 तहसील कार्यालय चंदिया में 1 सितंबर से 31 मार्च तक लगाया गया था। माह अक्टूबर 2025 में गाड़ी का इंजन बैठ गया जिसकी मरम्मत का कार्य मेरे द्वारा कराया गया जिसका खर्चा 40 हजार रुपये आया। जिसके बाद मेरे द्वारा गाड़ी चंदिया भेजी गई, और विधिवत 15 दिन पूर्व सूचना देकर वाहन निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि माह नवंबर तक किराया मझे विधिवत दिया गया। माह दिसम्बर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक किराया 19500 दर से नही दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि बकाया राशि का भुगतान कराया जाए। कलेक्टर ने तहसीलदार चंदिया को आवेदन प्रेषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।